न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करूणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :- 86/2014

जीसीएमएस नम्बर :- 2014/00015

उनवान

1. सज्जनकंवर पुत्री भीमसिंह राजूपत निवासी खेमाणा पत्नि ओनारनाथ चौहान निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर
2. कंचनकंवर पुत्री भीमसिंह राजूपत निवासी खेमाणा पत्नि एकलिंग चौहान निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरसिंह पिता अभयसिंह मुतबन्ना भूरसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर
3. कालूसिंह गोदपुत्र जोरावरसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द टेलर – वादीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–19.08.2025

1. पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। हिन्दु सयुक्त परिवार के मूल पुरूष श्री भीमसिंह जी थे. जिनके दो पुत्र अभय सिंह, जोरावर सिह तथा दो पुत्रियां वादीगण हुये तथा अभयसिह फौत हो चुका हैं उनके नारायण सिंह एवं भवरसिह दो पुत्र हुए जिसमें से भवरसिंह, भूरसिह जी के गोद जा चुके हैं तथा नारायणसिह ही वारिस हैं। जोरावर सिंह लाऔलाद फौत हो चुके हैं। इस हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरूष मृतक श्री भीमसिंह जी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि भूमियां ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 185 में साबिक आराजी संख्या 273 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 274/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 275 रकबा 2 बीघा 277/2 रकबा 8 आठ बिस्वा, 278 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा 279 रकबा 16 बिस्वा, 283 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 285/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 286/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा 418 रकबा 13 बिस्वा 419/2 रकबा 6 बिस्वा 427 रकबा 5 बिस्वा, 697/2, रकबा 2 बीघा 4

सहायक कलक्टर
उ.खं.अ. रायपुर

1. बिस्वा 700/2 रकबा 2 बिस्वा 915 रकबा 1 बिस्वा 916/2 रकबा 5 बिस्वा 920/2 रकबा 6 बिस्वा 922/2 रकबा 1 बिस्वा 953 रकबा 1 बिस्वा 954 रकबा 4 बिस्वा, 956 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, 995 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 996 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा 997 रकबा 5 बिस्वा, 998/2 रकबा 8 बिस्वा, 999/2 रकबा 17 बिस्वा 1013/1 रकबा 14 बिस्वा 1016/1क रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा, 1020 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, 1021 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा 1042 रकबा 4 बिस्वा 1180 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 32 कुल रकबा 76 बीघा 9 बिस्वा भूमियां स्थित थी।
2. इसी प्रकार इस हिन्दु संयुक्त परिवार के मूल पुरुष एवं वादीगण के पिता भीमसिंह जी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी साबिक कृषि आराजियात संख्या 274/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 277/1 रकबा 9 बिस्वा, 278/1 रकबा 6 बिस्वा, 280 रकबा 11 बिस्वा, 281 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 282 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 284 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 285/1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 286/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा 360 रकबा 11 बिस्वा 361 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा 589 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 590 रकबा 5 बिस्वा 591 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा भूमियां स्थित थी। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण के पिता तथा प्रतिवादी संख्या एक एवं दो के दादा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की थी तथा उनकी मृत्यु हो चुकी हैं। वादीगण उक्त सजरे के अनुसार उनकी जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हम वादीगण का भी उक्त वर्णित पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पत्तियों में जन्म से ही बराबर–बराबर हक अधिकार एवं हिस्सा निहित हैं और हिस्सेनुसार ही वादीगण मौके पर भूमियों पर काबिज हैं। किन्तु ग्राम पंचायत खेमाणा द्वारा हम वादीगण के पिता भीमसिंह जी वह केवल मात्र उनके दोनो पुत्रों अभय सिंह एवं जोरावर सिंह के नाम फैसल कर दिया और सम्पूर्ण भूमिया केवल मात्र दोनो के नाम पर ही दर्ज हो गयी जबकि वादीगण भी उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है और ग्राम पंचायत खेमाणा को वादीगण के नाम पर भी नामान्तरण फैसल करना चाहिए था तथा भूमिया वादीगण के नाम भी बराबर हिस्से से दर्ज हो नही चाहिए थी, जिससे उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं और ऐसा नामान्तरण कानून की नजर में शुन्य प्रभावी हैं। पुश्तैनी भूमियों में सयुक्त रूप से 1/2 एक बटा दो हिस्सा निहित था किन्तु जोरावर सिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से वादीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा यानि संयुक्त रूप से वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है तथा उसी हिस्सेनुसार वादीगण मौके पर काबिज है।
3. वादीगण के पिता भीम सिंह जी की सम्पूर्ण भूमि उनके दोनो पुत्र अभयसिंह और जोरावर सिंह के नाम पर दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठा कर उन्होने साबिक खाता संख्या 185 में अंकित आराजियात में से आराजी संख्या 1180, 1021/1, 1020/1, तथा 1020/2, 1016/1ख, 1016/1ग, 1020/3 आराजियात विक्रय की जा चुकी है जिसके लिये वादीगण क्लेम नहीं कर रहे हैं। शेष आराजियात में जोरावर सिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से वादीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा निहित होकर अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में उक्त 2/3

सहायक कलक्टर

हिस्सा अंकित कराने की अधिकारीणी हैं। इस प्रकार जोरावर सिंह व अभयसिंह के द्वारा विक्रय की गयी भूमियों के पश्चात शेष रही भूमियां का अभयसिंह व जोरावरसिंह के बीच दोनों ने संयुक्त साजिश रच कर आपसी सहमति से विभाजन करवा लिया जबकि उक्त वर्णित भूमियों में वादीगण का भी हिस्सा निहित था और उसी हिस्से-नुसार वादीगण भूमियां पर काबिज हैं। अभयसिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके हिस्से की भूमियां उनके पुत्र नारायण सिंह के नाम पर दर्ज हो गयी जो वर्तमान में उसी के नाम पर चली आ रही हैं तथा जोरावर सिंह के हिस्से की भूमियां लाऔलाद फौत हो जाने से उन्ही के नाम पर चली आ रही हैं। तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम खेमाणा का भी भूप्रबन्ध हुआ जिसमें वादीगण के भाई जोरावर सिंह के तथाकथित बटवारे में उसके हिस्से में रखी भूमियों के नवीन भूप्रबन्ध के पश्चात नवीन नम्बर आराजी संख्या 710 रकबा 0.57 है0 711 रकबा 1.86 है0. 719 रकबा 0.19 है0, 726 रकबा 2.59 है०, 727 रकबा 0.47 है0, 728 रकबा 0.47 है0. 729 रकबा 2. 41 है0, 733 रकबा 0.15 है0, 734 रकबा 0.02 है0, 735 रकबा 1.63 है०, 736 रकबा 0.01 है0, 737 रकबा 0.64 है0, 1249 रकबा 0.76 है0, 1261 रकबा 0.52 है० कुल किता 14 कुल रकबा 12.29 हैक्टयर भूमि कायम किये गये जो नवीन खाता संख्या 151 में जोरावर सिंह पिता भीमसिंह जी राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड हैं।

4. इसी प्रकार वादीगण के भाई अभयसिंह के हिस्से में रखी गयी साबिक कृषि आराजियात के नवीन भू प्रबन्ध के बाद नवीन नम्बर आराजी संख्या 1026 रकबा 0.14 है0. 1028 रकबा 0.12 है0, 1455 रकबा 0.47 है0, 1468 रकबा 0.02 है0, 1928 रकबा 0.05 है0, 1929 रकबा 0.01 है०. 2186 रकबा 0.01 है0, 2233 रकबा 0.01 है0, 2234 रकबा 0.05 है0, 2236 रकबा 0.48 है0, 2237 रकबा 0.56 है0. 2277 रकबा 0.79 है0, 2278 रकबा 0.34 है0, 2279 रकबा 0.41 है0, 2280 रकबा 0.72 है0, 2281 रकबा 0.18 है0, 2283 रकबा 0.09 है0, 2309 रकबा 0.15 है0, 2330 रकबा 6.52 है० कुल किता 22 कुल रकबा 12.42 हैक्टयर भूमि कायम किये गये जो वादीगण के भाई अभयसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नारायण सिंह के नाम पर नवीन खाता संख्या 239 पर दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित आराजियात का गलत हिस्सा बताकर दोनो के मध्य बंटवारा गैर कानूनी तरीके से करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से कानून की नजर में अकृत एवं शुन्य हैं तथा उक्त वर्णित आरायिजात में जोरावर सिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से हम वादियागण अपने 2/3 हिस्से की संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित होने की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं तथा 2/3 हिस्से को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारीणी हैं तथा सम्पूर्ण भूमियों में प्रतिवादी संख्या एक नारायण सिंह का भी 1/3 एक बटा तीन हिस्सा दर्ज कराने की घोषणात्मक डिकी भी साथ ही प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं।

5. अतः सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जायें कि ग्राम खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित हाल कृषि आराजियात नम्बर 710 रकबा 0.57 है0 711 रकबा 1.86 है0, 719 रकबा 0.19 है0, 726 रकबा 2.59 है0, 727 रकबा 0.47 है0, 728 रकबा 0.47 है0, 729 रकबा 2.41

सहायक कलक्टर

है0. 733 रकबा 0.15 है0, 734 रकबा 0.02 है0, 735 रकबा 1.63 है0, 736 रकबा 0.01 है0, 737 रकबा 0.64 है0, 1249 रकबा 0.76 है0, 1261 रकबा 0.52 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 12.29 हैक्टयर भूमि जो हाल खाता संख्या 151 में जोरावर सिंह पिता भीमसिंह जी राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा इसी प्रकार नवीन आराजी संख्या 1026 रकबा 0.14 है0, 1028 रकबा 0.12 है0, 1455 रकबा 0.47 है0, 1468 रकबा 0.02 है0, 1928 रकबा 0.05 है0, 1929 रकबा 0.01 है0, 2186 रकबा 0.01 है0, 2233 रकबा 0.01 है0, 2234 रकबा 0.05 है0, 2236 रकबा 0.48 है0, 2237 रकबा 0.56 है0, 2277 रकबा 0.79 है0, 2278 रकबा 0.34 है0, 2279 रकबा 0.41 है0, 2280 रकबा 0.72 है0, 2281 रकबा 0.18 है0, 2283 रकबा 0.09 है0, 2309 रकबा 0.15 है0, 2330 रकबा 6.52 है० कुल किता 22 कुल रकबा 12.42 हैक्टयर भूमि जो नारायण सिंह के नाम पर नवीन खाता 239 पर दर्ज रेकार्ड है, में वादीगण संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की वादीगण अधिकारिणी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों से बेदखल नही करे तथा राजस्व रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

6. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी 1 व 2, 4 बावजुद सम्यक तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 औपचारिक पक्षकार है।

7. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि यह कि वादपत्र की कलम सख्या एक अस्वीकार होकर कथन हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से दो सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं है तथा वादीगण का आने से करीब 40 वर्ष पूर्व ही विवाह हो गया है तथा 40 वर्षो से अपने ससुराल कलीचड़ा में निवास कर रही है। वादीगण द्वारा गलत सजरा पेश किया गया है। जोरावर सिंह जी लाओलाद फौत नहीं हुए प्रतिवादी संख्या 3 जोरावर सिंह का गोदपुत्र हैं। प्रतिवादीगण सख्या 1, 2 तथा जोरावर सिंह जी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् से करीब 40 वर्षो से अलग अलग निवास कर रहे थे तथा उनके मध्य 40 वर्ष से ही अपनी अपनी कृषि आराजियात का विभाजन मौखिक रूप से हो गया था तब से करता चला आ रहा है। तीनों ही अपने अपने हिस्से पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राजस्व रेकॉर्ड में भी तीनो के मध्य दिनाक 3.5.1983 को अलग अलग विभाजन हो गया एवं जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी समस्त चल अचल संपति व कृषि आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 3 उनका गोदपुत्र होने तथा जोरावर सिंह जी द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादपत्र की कलम सख्या 2 यहां तक स्वीकार हैं कि कलम सख्या दो में अंकित साबिक कृषि आराजियात भीम सिंह के नाम पर दर्ज थी। वादग्रस्त भुमियां भीम सिंह के पिता की नही

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जयपुर

होकर उनकी स्वअर्जित थी उक्त भुमिया भीम सिंह के नाम पर कब्जा कास्त दर्ज हुई भीम सिंह मृत्यु कब हुई इसका कोई उल्लेख नही किया गया। वादीगण द्वारा गलत राजस्व पेश किया गया हैं। उक्त भुमियो पर वादीगण का कभी कब्जा नही रहा व न ही वर्तमान में कब्जा है। भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तरण सख्या 595 दिनांक 29 12.1978 को स्वीकृत किया गया न कि दिनांक 3.8.1979 को। ग्राम पचायत द्वारा नामान्तरण निर्णित करते समय वादीगण को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से अपना हिस्सा अपने भाईयों के नाम दर्ज करने की सहमति के पश्चात ही नामान्तरण निर्णित किया गया। वादीगण द्वारा एक बार वादग्रस्त जायदाद में अपना हिस्सा देने के पश्चात् दुबारा अपना हिस्सा मागने की अधिकारी नहीं है या वादीगण ने इस कलम में स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि भूमियां हमारे नाम दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। ग्राम पचांयत द्वारा विधिक रूप से वादीगण को पूरी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनकी सहमति से ही नामान्तरण निर्णित किया गया है। वादीगण द्वारा 39 सालों बाद यह वाद पेश किया है जो खारिज हाने योग्य है। वादीगण ने वादग्रस्त प्रजायदाद में से अपना हिस्सा अपनी सहमति से तर्क कर दिया जिससे वादीगण का वादग्ररत जायदाद में कोई हक एवं हिस्सा शेष नहीं रहा है। जोरावर सिह लाऔलाद फौत नहीं हुआ उन्होंने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सख्या 3 की सामाजिक रिति रिवाजानुसार गोद ले लिया था समाज के बड़वा की पोथी में भी प्रतिवादी संख्या 3 का नाम दतक पुत्र के रूप में अंकित करवा दिया। प्रतिवादी सख्या 3 ने ही अपने दत्तक पिता जोरावर सिंह जी की सेवा सुश्रुषा की तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनके सारे सामाजिक कार्यक्रम दाह संस्कार पिण्डदान आदि प्रतिवादी संख्या तीन ने ही किए। जोरावर सिंह की सारी चल अचल संपति एवं वादग्रस्त कृषि आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 3 ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौके पर वादग्रस्त कृषि आराजियात पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमिया वादीगण की सहमति से जोरावर सिंह व अभय सिंह के नाम पर दर्ज हुई तथा वादीगण के मायरे मुकलावे के लिए दोनों ने भुमी विक्रय की व 1983 में दोनों के मध्य राजस्व रेकॉर्ड में विभाजन हुआ जिसकी जानकारी वादीगण की पूरी तरह से थी। वादीगण अपने हिस्से के लिए उस समय भी क्लेम कर सकती थी परंतु वादीगण ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। जोरावर सिंह लाऔलाद मृत्यु नहीं हुई जोरावर सिंह ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 3 को गोद ले लिया था जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही है तथा जोरावर सिंह की समस्त चल अचल संपति पर प्रतिवादी संख्या 3 का ही अधिकार है तथा वही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण की नियत में फीतूर आ जाने से वादीगण ने यह झूठा वादपत्र पेश कर दिया है। वादीगण का वादग्रस्त जायदाद में कोई हक एवं हिस्सा नहीं है जिससे वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जाए। मृतक जोरावर सिंह का प्रतिवादी संख्या 3 दत्तक पुत्र होकर वैध उत्तराधिकारी हैं तथा जोरावर सिंह ने प्रतिवादी के पक्ष में एक वसीयत भी निष्पादित करवा रखी हैं। जोरावर सिंह की मृत्यु के पश्चात वादीगण की नीयत में फितूर आ जाने से प्रतिवादी सख्या 3 को उसके जायज हक

से महरूम करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1, 2 से दुरभिसंधी कर यह झुठा वाद पेश कर दिया हैं जिससे वादीगण का वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाए। काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 मृतक जोरावर सिंह का दत्तक पुत्र हैं तथा जोरावर सिंह ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी संख्या 3 को सामाजिक रिति रिवाजानुसार गौद लिया था तथा समाज के बड़वा की पोथी में प्रतिवादी सख्या 3 का नाम दत्तक पुत्र के रूप में दर्ज करवा दिया था। प्रतिवादी सख्या 3 जोरावर सिंह के साथ निवास कर अपने दत्तक पिता की सेवा चाकरी करता चला आ रहा था तथा जोरावर सिंह ने अपने जीवन काल में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त चल अचल संपति के सबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के हक उत्तराधिकार के सबंध में कोई विवाद नहीं हो इसके लिए दिनाक 4.4. 2007 के सबंध में अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवा दी तथा प्रतिवादी सख्या 3 को गौद लेने के परवात गौदनामा का पंजीयन होना आवश्यक है जिससे इस कानूनी कमी को भी जोरावर सिंह ने दिनाक 9.6.2011 को गौदनामा का पंजीयन प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में करवा दिया। जोरावर सिंह की मृत्यु के पश्चात जोरावर सिंह के सारे सामाजिक कार्यक्रम, दाह संस्कार पिण्डदान आदि क्रियाक्रम प्रतिवादी सख्या 3 ने ही पूरे किए तथा जोरावर सिंह की सारी चल अचल संपति पर पर वर्तमान में प्रतिवादी सख्या 3 ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व प्रतिवादी सख्या 3 जोरावर सिंह का वैध उत्तराधिकारी है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 ग्राम खेमाणा के खाता संख्या 151 में अंकित कुल किता 14 कुल रकबा 12:29 हैक्ट, भुमी का खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी हैं। नवीन आ.स. 726 रकबा 259 हैक्ट आ.स. 727 रकबा 0.47 हैक्ट को सा.आ.स. 361, 359/2, 360 को मिलाकर बनाए गए जिसमें से सा.आ.स. 359/2 रकबा 7 बीघा भुमी जोरावर सिह की स्वअर्जित भुमी थी इसी तरह नवीन आ.स. 736 रकबा 0.01 हैक्ट आ.सं. 737 रकबा 0.64 हैक्ट को सा.आ.स. 290/2 रकबा 3 बीघा के कायम किए गए थे उक्त भुमी जोरावर सिह की स्वअर्जित भुमी थी तथा उक्त दोनो आराजी जोरावर सिंह को अलॉट हुई थी जिससे आ.सं. 726, 727 रकबा 3.06 हैक्ट में से 1.51 हैक्ट तथा आ.स. 736, 737 रकबा 0.65 हैक्ट में वादीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है तथा वादीगण ने पैतृक भूमीया बताकर वाद पेश किया है जिससे भी वादीगण का वाद खारिज हाने योग्य हैं तथा प्रतिवादी सख्या 3 को जोरावर सिंह के हिस्से की वादग्रस्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घौषित फरमाया जाए।

8. वादपत्र में तनकियात कायम की गई जो निम्न है।

I. आया कि वादग्रस्त भूमियां वादीया व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक भूमिया है।

जिम्मे वादीगण

II. आया कि वादग्रस्त भूमियों में केवल मात्र भीमसिंह जो कि वादीगण के पिता की विरासत के नामान्तरण काल में वादीगण का नाम दर्ज नही कर भूमियां केवल उसके भाई अभय

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

सिंह व जोरावरसिंह के नाम पर नामान्तरित कर दिया जिससे उक्त नामान्तरण संख्या 595 विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है। जिम्मे वादीगण

III. आया कि अभयसिंह व जोरावरसिंह के मध्य हुआ विभाजन भी अवैध होने योग्य है। जिम्मे वादीगण

IV. आया कि वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी होने से जोरावरसिंह का औलाद मृत्यु होने से वादीगण उनसे संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

V. आया कि वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने की अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

VI. आया कि प्रतिवादी संख्या 3 मृतक जोरावरसिंह का गोदपुत्र होने से जोरावरसिंह के नाम दर्ज भूमियों को स्वंय के नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी 3

VII. आया कि प्रतिवादी संख्या 3 स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने का अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी 3

VIII. आया ग्राम खेमाणा की वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 726 रकबा 2.59 है0, आ.स. 727 रकबा 0.47 है0, आ.स. 736 रकबा 0.01 है0, आ.स. 737 रकबा 0.64 है0 भूमि जोरावरसिंह की स्वअर्जित भूमि होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 कालु के नाम उक्त भूमि की वसीयत होने एवं जोरावरसिंह का दत्तक पुत्र होने से प्रतिवादी संख्या 3 कालुसिंह खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी 3

IX. आया वादीगण की सहमति से नामान्तरण संख्या 595 दिनांक 29.12.79 स्वीकृत होने तथा वादीगण एवं जोरावरसिंह, अभयसिंह के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने तथा वादीगण के हिस्से की भूमि विक्रय कर वादीगण को प्रतिफल अदा कर दिया गया। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक एवं कब्जा नही होने से वादीगण का वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी 3

X. अनुतोष

9. दौराने वाद वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी होकर राजीनाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1, 3 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामें में अंकन किया कि हम पक्षकारान आपस में भाई–बहिन भतीजे होकर एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है और लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम पक्षकारान के मध्य आपस में न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और हमारे अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस पारिवारिक राजीनामें में हम सभी पक्षकारान कि सहमती से यह तय किया है कि " वाद ग्रस्त आराजीयात में से हम वादीगण के भाई जौरावर सिंह पिता भीम सिंह जी राजपूत निवासी खेमाणा के नाम दर्ज ग्राम खेमाणा की कृषि आराजीयात संख्या 1261 रकबा 0.52 हैक्ट भूमि में से 0.43 हैक्ट भूमि व आराजी संख्या 710 रकबा 0.57 हैक्टयर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 711 रकबा 1.86 हैक्ट में से 1.60 हैक्ट भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 2.60 हैक्टयर भूमि को वादीगण के हिस्से में रखी जाकर इसकी घोषणा खातेदारी हक आधिकार बावत् सहमती से कराई जाकर

वादीगण के नाम पर दर्ज कराया जावे व शेष अन्य आराजीयात व रकबे को जौरावर सिंह पिता भीम सिंह राजपूत के बजाए उसके गौद पुत्र कालू सिंह पिता उंकार सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री सादर फरमाई जावे और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमियों को बेदस्तूर यथावत रखाया जावे इसकी घोषणा कराई जावे। उक्त राजीनामा हक सभी पक्षकारान कि रहमती से व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया है। जिससे उक्तानुसार राजीनामा तरदीक कर वाद पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

10. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सांविक एवं हाल रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम का एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का गभींरता पूर्वक अध्ययन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि पक्षकरों की पैतृक व पुश्तैनी है। वाद में तनकियात कायम की गई परन्तु दौराने वाद पक्षकारों द्वारा सी.पी.सी. आदेश 23 नियम 1, 3 व धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकरों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा अब उक्त प्रकरण के सम्बध में किसी प्रकार विवाद नही रहा है जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए वादपत्र का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार जोरावरसिंह पिता भीम सिंह के नाम ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा में स्थित आराजी संख्या 1261 रकबा 0.52 है0 मे से 0.43 है0, आराजी संख्या 710 रकबा 0.57 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 711 रकबा 1.86 है0 मे से 1.60 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं जोरावरसिंह पिता भीमसिंह के नाम शेष अन्य आराजियात को जोरावरसिंह पिता भीमसिंह के बजाय कालुसिंह गोदपुत्र जोरावरसिंह राजूपत के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमियों को बदस्तुर जमाबन्दी रखी जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला-पाली (राज.)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 86 / 2014

जीसीएमएस नम्बर :– 2014 / 00015

उनवान

1. सज्जनकंवर पुत्री भीमसिंह राजूपत निवासी खेमाणा पत्नि ओनारनाथ चौहान निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर
2. कंचनकंवर पुत्री भीमसिंह राजूपत निवासी खेमाणा पत्नि एकलिंग चौहान निवासी फलीचड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरसिंह पिता अभयसिंह मुतबन्ना भूरसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर
3. कालुसिंह गोदपुत्र जोरावरसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार जोरावरसिंह पिता भीम सिंह के नाम ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा में स्थित आराजी संख्या 1261 रकबा 0.52 है0 मे से 0.43 है0, आराजी संख्या 710 रकबा 0.57 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 711 रकबा 1.86 है0 मे से 1.60 है0 भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं जोरावरसिंह पिता भीमसिंह के नाम शेष अन्य आराजियात को जोरावरसिंह पिता भीमसिंह के बजाय कालुसिंह गोदपुत्र जोरावरसिंह राजूपत के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमियों को बदस्तुर जमाबन्दी रखी जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा